संख्या-51/824/24-1-16-812(उदय)/2016

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2016**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार की उदय योजना के अन्तर्गत निर्गत सरकारी प्रतिभूति से प्राप्त धनराशि को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को दिये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-260/मप्र(वित्त)/विप्र-2/268/आय-व्ययक/2015-16, दिनांक 29.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार की उदय योजना के अन्तर्गत निर्गत सरकारी प्रतिभूति से प्राप्त धनराशि को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को दिये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 6652,00,00,000/- (रूपये छः हजार छः सौ बावन करोड़ मात्र) में से रूपये 6083,11,75,,000/- (रूपये छः हजार तिरासी करोड ग्यारह लाख पचहत्तर हजार मात्र) ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- उपर्युक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को बकाया ऋणों की अदायगी हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से किया जा चुका है। अतः प्रस्तर-1 में स्वीकृत का आहरण नकद न कर पुस्तक समायोजन द्वारा किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज- आयोजनेत्तर-190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज- 03-उदय योजना के अन्तर्गत निर्गत सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त धनराशि का यू0पी0पी0सी0एल0 को संक्रमण- आयोजनेत्तर-0301- यू0पी0पी0सी0एल0 को ब्याज रहित ऋण-30- निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा तथा निर्गत प्रत्याभूतियों से प्राप्त धनराशि को लेखाशीर्ष- 6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-109- अन्य संस्थाओं से कर्ज-09- ऊर्जा विभाग-0904- डिस्कॉम्स के आपरेशनल एवं फाइनेशियल टर्न अराउण्ड की योजना उदय के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी बन्ध पत्र से प्राप्त के अन्तर्गत जमा की जायेगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 89 /दस-2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुरेश कुमार शर्मा
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 51 /824(1)/24-1-16, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार शर्मा
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in